लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1434

जिसका उत्तर बुधवार, 31 जुलाई, 2024 को दिया जाएगा

खाद्य मुद्रास्फीति

1434. श्री सतपाल ब्रह्मचारी:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में खुदरा और खाद्य मुद्रास्फीति बहुत अधिक हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले वर्षों के दौरान खाद्य कीमतों में अत्यधिक वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने दालों, प्याज, फलों, सब्जियों और आलू जैसी आवश्यक बागवानी वस्तुओं की कीमतों में अस्थिरता को कम करने में सहायता करने के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) से पर्याप्त निधि आवंटित की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएसएफ से आवंटित राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री बी. एल. वर्मा)

(क) से (च) : उपभोक्ता मामले विभाग देश भर में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा केंद्रीय सहायता से स्थापित 550 मूल्य निगरानी केंद्रों द्वारा प्रस्तुत 22 आवश्यक खाद्य वस्तुओं के दैनिक खुदरा और थोक मूल्यों की निगरानी करता है, जो कीमतों और सांकेतिक मूल्य रुझानों की दैनिक रिपोर्ट का उचित विश्लेषण किया जाता है, ताकि बफर से स्टॉक जारी करने, स्टॉकहोल्डिंग संस्थाओं द्वारा स्टॉक का खुलासा करने, स्टॉक सीमा लगाने, आयात शुल्क को युक्तिसंगत बनाने जैसे व्यापार नीति साधनों में बदलाव, आयात कोटा में बदलाव, वस्तु के निर्यात पर प्रतिबंध आदि जैसे उचित निर्णय लिए जा सकें।

खाद्य वस्तुओं की कीमतें अस्थिर होती हैं क्योंकि वे कई कारकों से प्रभावित होती हैं, जैसे उत्पादन में मौसमी बदलाव, प्रतिकूल मौसम की स्थिति, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, जमाखोरी और कालाबाजारी से उत्पन्न कृत्रिम कमी, अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि आदि। कभी-कभी आपूर्ति श्रृंखला में मामूली व्यवधान या प्रतिकूल मौसम की स्थिति आदि के कारण फसल को नुकसान होने से कृषि-बागवानी वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। इसके विपरीत, थोक आवक और लॉजिस्टिक समस्याओं से बाजार में अधिकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और परिणामस्वरूप कीमतों में गिरावट आ सकती है।

सरकार ने कृषि-बागवानी वस्तुओं में अत्यधिक मूल्य अस्थिरता से उपभोक्ताओं को सुरक्षित रखने के लिए वर्ष 2014-15 में मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) स्कीम शुरू की। पीएसएफ के तहत, बाजार में हस्तक्षेप करने और जमाखोरी और बेईमान सट्टेबाजी को रोकने के लिए प्रमुख दालों और प्याज का बफर स्टॉक बनाए रखा गया है। बाजार में उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों को स्थिर करने के लिए बफर से स्टॉक को अंशांकित तरीके से जारी किया जाता है।

उपभोक्ताओं को किफायती कीमतों पर दालें उपलब्ध कराने के लिए, जुलाई, 2023 में सरकार के पास उपलब्ध चना स्टॉक को खुदरा निपटान के लिए चना दाल में बदल कर भारत दाल की शुरूआत की गई। भारत दाल उपभोक्ताओं को 1 किलो पैक 60 रुपये प्रति

किलो और 30 किलो पैक 55 रुपये प्रति किलो की रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाती है। भारत दाल में मूंग दाल को शामिल करने के लिए बफर स्टॉक से मूंग दाल और मूंग साबुत को बदल कर खुदरा बिक्री के लिए क्रमशः 107 रुपये प्रति किलो और 93 रुपये प्रति किलो की रियायती कीमतों पर उपभोक्ताओं के लिए शामिल किया गया है। भारत दाल का वितरण एनसीसीएफ, नैफेड, केंद्रीय भंडार और राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाता है।

घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए, 31 मार्च, 2025 तक 'मुफ़्त' व्यवस्था के तहत तूर और उड़द के आयात की अनुमति दी गई है और मसूर पर आयात शुल्क 31 मार्च, 2025 तक शून्य कर दिया गया है। दालों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए पीली मटर के आयात को 8 दिसंबर, 2023 से 31 अक्टूबर, 2024 तक अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त, 4 मई, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक शून्य शुल्क पर देसी चना के आयात की अनुमति दी गई है।

जमाखोरी रोकने के लिए, 21 जून, 2024 से 30 सितंबर, 2024 तक तूर और देसी चना पर स्टॉक सीमा लगा दी गई है।

सरकार द्वारा मूल्य नियंत्रण उपायों के साथ-साथ इस वर्ष (2024-25) खरीफ दलहन के तहत बोए गए क्षेत्र में मजबूत प्रगति से बाजार स्थिर हो गया है और पिछले एक महीने में प्रमुख मंडियों में चना, अरहर और उड़द की कीमतों में 4% तक की गिरावट आई है।

सरकार कम उपलब्धता वाले महीनों के दौरान प्याज की मात्रा को अंशांकित तरीके से जारी करने और कीमतों में उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए पीएसएफ के तहत प्याज का बफर बनाए रखती है। बफर आकार को वर्ष-दर-वर्ष, 2020-21 में 1.00 एलएमटी से बढ़ाकर 2022-23 में 2.50 एलएमटी और 2024-25 में 5.00 एलएमटी किया गया है। बफर से प्याज खुदरा बिक्री, ई-नाम नीलामी और थोक बाजारों में थोक बिक्री के माध्यम से जारी किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, प्याज की कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए अगस्त, 2023 में घरेलू उपलब्धता बढ़ाने हेतु 40% का निर्यात शुल्क लगाया गया था। जब अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के मुकाबले निर्यात में उछाल आया, तो अक्टूबर, 2023 में 800 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन का एमईपी लगाया गया और फिर दिसंबर, 2023 से प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद, प्याज की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए 4 मई, 2024 से 40% शुल्क और 550 अमेरिकी डॉलर के एमईपी के साथ निर्यात की अनुमति दी गई थी।

मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के तहत पर्याप्त निधि आवंटित की गई है। वर्ष 2014-15 में इसकी शुरुआत से लेकर 2023-24 तक इस स्कीम के लिए कुल 27,489.14 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता प्रदान की गई है। केंद्रीय बजट 2024-25 में मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत 10,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। पीएसएफ के लिए प्रदान की जाने वाली वार्षिक बजटीय सहायता को पीएसएफ कॉर्पस निधि में अंतरित कर दिया जाता है और स्टॉक की खरीद, भंडारण और निपटान से जुड़े मूल्य स्थिरीकरण कार्यों को कॉर्पस निधि से निकालकर वित्त पोषित किया जाता है। स्टॉक की बिक्री से प्राप्त आय को कॉर्पस निधि में वापस डाल दिया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान कीमतों में उतार-चढ़ाव को कम करने के लिए हस्तक्षेप हेतु पीएसएफ कॉर्पस से जारी की गई निधि की वर्ष-वार राशि नीचे दी गई है:

पीएसएफ कॉर्पस से वर्ष वार जारी की गई निधि

वर्ष	धनराशि (रुपये करोड़ में)
2021-22	10,367.70
2022-23	4,582.82
2023-24	11,331.15

*****